

ख हुक्म
18 1/2

पत्रावली पेश हुई। बकुलाम फारिदन उप./ अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी कार्य में व्यस्त पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/11 को पेश हो

17

30-11-17 पत्रावली पेश हुई। बकुलाम उप. अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19-12-17 को पेश हो

19 12/17

पत्रावली पेश हुई। बकुलाम उप. अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2-1-18 को पेश हो

2 1/18

पत्रावली पेश हुई। बकुलाम उप. अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20-2-18 को पेश हो

20-2-18

पत्रावली पेश हुई। बकुलाम उप. अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24-5-18 को पेश हो

24 5/18

पत्रावली पेश हुई। बकुलाम उप. अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31-6-18 को पेश हो

23 08/18 कार्यवाही पेशा 31/7/18 पर

पत्रावली पेश हुई। बकुलाम उप. अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 06/09/18 को पेश हो

क
ल

मि

तारीख हुकम

13/09

दिनांक 13/09 पर पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. अनुमति/ पीठासीन अधिकारी को पत्र/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 29/11/18 को पेश हो।

07/19

दिनांक 07/19 पर पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. अनुमति/ पीठासीन अधिकारी को पत्र/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 09/05/19 को पेश हो।

09/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. अनुमति/ पीठासीन अधिकारी को पत्र/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 29/08/19 को पेश हो।

29/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. अनुमति/ पीठासीन अधिकारी को पत्र/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 21/10/19 को पेश हो।

21/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. अनुमति/ पीठासीन अधिकारी को पत्र/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 26/11/19 को पेश हो।

26/19

पत्रावली पेश हुई। वकील जयश्रीगण उप. वकील जयश्रीगण न्यायालय हाजा दरगा कार-कार साई-प्रीत किया जाने के उपरान्त श्री जयश्रीगण के सफल तत्काल पेश करने में असमर्थ रहे हैं। अतः ज.पत्रा अवमाना O.9 R.5 CPC के तहत खरीज किया जाता है। पत्रावली पेशल प्रकार होकर नम्बर से कम हो तथा काद सम्मिलित दाखिल उपरत है। निर्णय उक्त न्यायालय में सुनाया गया।